फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	29.5.18	पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 में इन्द्र सेवा केन्द्र हरसपुरा पेश हुई। मजमे आम में सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अप्रार्थी सं० 5 की ओर से पत्र क्रमांक 237 दि० 29-5-18 के साथ विवादित आराजी के प्रमाणित दस्तावेज पेश किये जिनके अवलोकन करने से विवादित आराजी सीलिंग अधिनियम के तहत अवाप्ति से सिवाय चक होना स्पष्ट होती है। सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 36 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई सिविल या राजस्व न्यायालय किसी ऐसे प्रश्न या मामले पर निर्णय नहीं लेगी या विचार नहीं करेगी जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को विनिश्चय करने का या विचार करने का अधिकार हो एवं किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को इसके अन्तर्गत किये विनिर्दिष्ट पालना के दावे को ग्रहण करने या कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिससे राज्य सरकार के इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिशेष भूमि के अधिकार पर असर डालता है, तथा प्रार्थी का उक्त आराजी पर स्वामित्व भी सिद्ध नहीं होने से प्रथमदृष्टया बलवान सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु भी प्रमाणित नहीं होने से प्रा० पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर से कम हो। मौका मजमे आम में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner